2019/07 2016 — प्रेमलता बनाम रमेशचन्द

क्रम संख्या	दिनांक ... या कार्यवाही	
		प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 01/04/2022 को पुनः पेश हो। (हस्ताक्षर)
	01/04/2022	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई है। उभय पक्षों की बहस सुनने तथा प्रार्थना पत्र में व जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या (8) मुकेश शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा एवं प्रार्थना पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या (5) ... शर्मा पुत्र श्री ... शर्मा ... (6) ... दोनों एक साथ ... करते हुए इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होने, वाद कारण के अभाव

उ.दि. नि. 8

2013/00286 प्रेरणा बनाम राकेश्वर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	तथा विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर स्वीकार किये जाते हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.स. स्वीकार किये जाने के कारण वादपत्र खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी [illegible] हो [signature] [stamp]	
वि. प्र. पत्र नं. 14/22		
22.4.22	पत्रावली प्रार्थना वास्ते 13 2 सीपीसी पेश होने पर नकल पर ली गयी। वकील प्रार्थी। प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र 4 से नियत है। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी। प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र पर सुने के पश्चात 3 वाद [illegible] प्रमाणों के निर्णय 1.4.22 को लिया गया [illegible] के सहमत से निर्णय व डिक्री दि 1.6.3.22 [illegible] गया है अतः प्रार्थी। प्रतिवादी [signature]	

2019/20286

प्रेमा बनाम रामेश्वर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 152 CPC स्वीकार किया जाकर उक्त दावा प्रेमा बनाम रामेश्वर मु.नं. 216/16 में निर्णय व डिक्री में 15.3.22 की बजाय 1.4.22 पढ़ा जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर से कम हो मूल वाद के साथ शामिल हो। [signature] सहायक कलक्टर [illegible] जिला जयपुर

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.)

वादी

1. प्रेरणा उर्फ चिल्लू पुत्री ओमप्रकाश शर्मा पत्नि कैलाश चन्द शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी सिन्दोली तह. बस्सी जिला जयपुर। हालवासी मकान नं. 52 कल्याण नं. 52 कल्याण नगर तृतीय टोंक रोड जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. रामेश्वर पुत्र रामनाथ जाति बागडा ब्राहमण निवासी सिन्दोली तह. बस्सी जिला जयपुर। हालवासी मकान नं. 18, जय अम्बे हाउसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के पीछे मदरामपुरा, सिविल लाइन तिराहा अजमेर रोड जयपुर।
2. नानगा पुत्र रामनाथ(फौत)
   2/1 योगेश पुत्र नानगा
   2/2 अशोक पुत्र नानगा
   जाति बागडा ब्राहमण निवासी सिन्दोली तह. बस्सी जिला जयपुर। हालवासी मकान/दुकान नं. 22,23 चौडा रास्ता जयपुर।
3. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर।
5. शंकरलाल पुत्र रामूलाल
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामूलाल
7. ग्यारसीलाल पुत्र जगदीश
8. मुकेश पुत्र जगदीश
9. हनुमान पुत्र रामूलाल
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी बीलवा तह. सांगानेर जिला जयपुर।

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

मु0न0 121/19
निर्णय दिनांक 15.03.2022 1.4.2022

1. वादीया की ओर से प्रस्तुत यह वाद बाबत् उद्घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है। जिस पर प्रतिवादी सं. 8 की ओर से प्रार्थना पत्र 07आर11 सीपीसी एंव प्रतिवादी सं. 5,6,9 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07आर11 सीपीसी पेश किया है। दोनों प्रार्थना पत्रों पर एक साथ सुनवाई की जाकर निस्तारित किया जा रहा है।

2. अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 8 के द्वारा प्रार्थना पत्र 07आर11 सीपीसी पर बहस के दौरान जाहिर किया कि वादपत्र तथाकथित रुप से स्व. ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा कौम बागडा ब्राहमण निवासी सिन्दौली की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 276 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/3 का विरासती नामान्तरण दर्ज करवाने एवं उसके पश्चात विभाजन एव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है। उनवानी वाद पत्र को देखने मात्र से वाद हेतुक प्रकट

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

नहीं होता है तथा वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होकर आदेश 07नियम11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट काबिल है।

3. यह कि वादीनी द्वारा तथाकथित रुप से स्व. ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा की पुत्री होना वर्णित करते हुए यह वाद पत्र सरासर बेबुनियाद असत्य तथ्यो पर दायर किया है। ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा खातेदार अपनी आराजी का संपूर्ण हिस्सा दावा दायरी से पूर्व ही दिनांक 28.03.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर चुका था तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की कियान्विति में प्रार्थी/केतागण के हित में नियमानुसार नामान्तकरण सं. 939 दिनांक 23.04.2014 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका था। जिसकी सत्यप्रति वादपत्र में पूर्व से पेश है। जब ओमप्रकाश खातेदार अपना हिस्सा संपूर्ण अपने जीवनकाल मे विक्रय कर चुका है तो उसकी कोई भूमि शेष नहीं रही है। इसलिये उसका विरासती नामान्तकरण हेतु वाद पत्र किसी भी अवस्था में चलने योग्य नहीं है।

4. यह कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2014 के मुताबिक ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा एवं प्रतिवादी सं. 01 ने अपना संपूर्ण हिस्सा 2/3 प्रार्थी/प्रतिवादी को बेचान कर कब्जा संभलाया है जिसका स्पष्ट उल्लेख पंजीबद्ध विक्रय पत्र में किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी से वादीया का कतई कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा उपरोक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है तथा चुनौती देने की समयावधि समाप्त हो जाने से अन्तिम हो चुका है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत कथन करने से वादिया एस्टोप्ड है।

5. यह कि वादीया द्वारा दायर वाद चालाकीपूर्ण ढंग से असदभावी तरीके से दायर किया गया है जो देखने मात्र से खारिज काबिल है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी स्वीकार कर वादीनी द्वारा दायर वाद मय हर्जा-खर्चा रिजेक्ट फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5,6 व 9 (प्रार्थी) के द्वारा प्रार्थना पत्र 07आर11 सीपीसी पर दौराने बहस जाहिर किया है कि वादिया ने एक वाद पत्र बाबत् घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.11.2012 उनवानी प्रेरणा देवी बनाम ओमप्रकाश वगैरह यह कहते हुये पेश किया कि ख.नं. 276 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा पुस्तेनी भूमि ग्राम सिंदौली तह. बस्सी में स्थित है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी सं. 1 ओमप्रकाश के पिता बजरंग व नानगा के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन है। प्रार्थीया प्रेरणा के दादा बजरंग फोत हो गये है। प्रार्थीया का बजरंग के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 में से 1/6 हिस्सा कानूनन बनता है। अतः अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों हेतु वाद पेश किया जो कि खारिज हो गया है।

7. यह कि वादिया प्रेरणा को पूर्व के वाद 113/12 के बाबत पूर्ण जानकारी शुरु से रही है के बावजूद वादिया ने उक्त दावा संपूर्ण भूमि का नये वाद कारण दिनांक 19.04.2014 के साथ मान्य न्यायालय के समक्ष विधि के

मूलभूत सिद्धातों के विपरित बिना वास्तविक वाद कारण के उत्पन्न हुए पेश किया जो निरस्तनीय है। आदेश 7 नियम 11(1) में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि वादी को वास्तविक वाद कारण उत्पन्न होना चाहिए जो कि उक्त प्रकरण में वादिया को नही हुआ है। यह वाद आदेश 7 नियम 11(1) के सिद्धातों के विपरीत है एवं निरस्तनीय है।

8. यह कि आदेश 9 नियम 9 सीपीसी नये वाद का वर्जन करते है। कानूनन वादिया अपने पूर्व के वाद मु.नं. 113/12 उनवानी प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश को ही पुनः रेस्टोर करा सकती है। कानूनन उसे एक ही वाद के लिये दो बार वाद कारण उत्पन्न नहीं हो सकते है। नया वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। उक्त वाद पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के सिद्धातों के विपरीत है एवं निरस्तनीय है।

9. यह कि वादिया का पूर्व का वाद खारिज हो जाने से उक्त वाद पत्र पूर्वन्याय (रेस्ज्यूडीकेटा) के सिद्धातों से प्रभावित वाद पत्र है। अतः कानूनन उक्त वाद पत्र मेन्टनेबल नहीं है। धारा-11 सीपीसी से प्रभावित होने से चलने योग्य नही होने से निरस्तनीय है।

10. यह कि वादिया का वाद पत्र पिता ओमप्रकाश द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय कराने व विक्रय पत्र के बाद नामान्तरकरण खुलवाने के बाद पेश किया है जिसमें केतागणों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया। केतागणों ने स्वयं ने आवेदन कर पक्षकार बने है इससे यह स्पष्ट होता है कि केतागण पूर्णतया बोनोफाइड केता है सदभावी केता है एवं सदभावी केतागणों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय पर भी है। ओमप्रकाश द्वारा संपूर्ण भूमि विक्रय करने के बाद ओमप्रकाश के ही कोई अधिकार शेष नहीं रहे है। अतः वाद पत्र निरस्तनीय है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की सत्य की अवधारणा होती है। अतः उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बहाल रहते हुए उक्त वाद पत्र विधि के सुस्थापित सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के विपरीत है। जब तक वादिया सक्षम सिविल न्यायालय से रजि. विक्रय पत्रों को निरस्त नहीं कराते है उक्त वाद पत्र धारा 207 आरटी एक्ट के तहत विधि द्वारा वर्जित है एवं निरस्तनीय है। वादिया अपने पिता द्वारा किये गये विक्रय से स्टाप्ड है पाबंद है।

वकील प्रतिवादी ने उक्त प्रकरण के संबंध में निम्नांकित कानूनी नजीरे पेश कियेः-

a. RRT2014-12(supp)P-489

b. RRT2013(1)P-475

c. RRT2006(1)P-226

d. RRD- 14-11-2009 P-750

उपखण्ड अधिकारी तहसील जिला जयपुर

11. अधिवक्ता वादिया/अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र दोनों प्रार्थना पत्रों की जवाब बहस कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है इसलिये वादीनी का पैतृक संपत्ति में कानूनी हक व अधिकार होने के कारण उद्घोषणा का वाद न्यायालय हाजा में पेश किया गया है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्तागण ने अभी तक जवाब दावा भी पेश नहीं किया है तथा वे अपने जवाब दावे में समस्त तथ्यों का विस्तृत रुप से जवाब दे सकते है तथा जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात ही विधिवत रुप से न्यायालय हाजा द्वारा तनकीहात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय किया जाता है तथा तथाकथित विक्रय पत्र दौराने दावा उनवानी प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश प्रकरण सं 113/12 उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश प्रकरण सं 118/12 (न्यायालय हाजा का दौरान स्टे/स्थगन आदेश) उनवानी दावा रामेश्वर बनाम राजेन्द्र प्रकरण सं 40/12 के विचाराधीन होते हुये किया गया है जो कानून के विपरीत है। ऐसी सूरत में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। क्योंकि आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधान तो उसी सूरत में लागू होते है जब कोई वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं कानून सम्मत नहीं हो। केवल मात्र प्रतिवादी प्रार्थीगण महज प्रकरण को देरीना करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

12. यह कि प्रार्थीगण/प्रतिवादी ने जिस तथाकथित विक्रय पत्र का उल्लेख किया है इसके संबंध में तो विधिवत रुप से साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय करना जरुरी है तथा तथाकथित विक्रय पत्र दौराने दावा उनवानी प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश प्रकरण सं 113/12, उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश प्रकरण 118/12 (न्यायालय हाजा का दौराने स्टे/स्थगन आदेश) उनवानी दावा रामेश्वर बनाम राजेन्द्र प्रकरण स 40/12 के विचाराधीन होते हुए किया गया है जो कानून के विपरीत है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

13. यह कि वादिनी ने तथाकथित श्रीमति प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश के उनवान का कोई दावा दिनांक 06.11.2012 को प्रस्तुत नहीं किया और वादीनी द्वारा उनवानी दावे को खारिज भी नहीं करवाया क्योंकि वादीनी अप्रार्थीनी श्रीमति प्रेरणा को तथाकथित वाद की कोई जानकारी नहीं थी।

14. यह कि वाद सं 113/12 वादीनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रतिवादीगण ने साज व कपट पूर्वक वादीनी अप्रार्थीनी श्रीमति प्रेरणा के फर्जी व बनावटी हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया है वादीनी ने ऐसा कोई वाद पूर्व में पेश नहीं किया बल्कि दिनांक [illegible] को वादिनी ने वाद कारण उत्पन्न होने पर उनवानी वाद श्रीमति प्रेरणा बनाम रामेश्वर व अन्य का पेश किया है। उक्त बनावटी व फर्जी वाद सं 113/12 उनवानी श्रीमति प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश की साक्ष्य में [illegible] अर्जी बाद सं [illegible] 2016

पुलिस थाना बस्सी में जरिये इस्तगासा दर्ज करवाई गई थी। जिस पर मूल आपराधिक प्रकरण सं. 1917/17 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, के तहत उमेश कुमार के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम 13 बस्सी जयपुर के न्यायालय में चला था तथा न्यायालय द्वारा 18.02.2020 को निर्णय किया है जिसमें न्यायालय ने तमाम तथ्यों का उल्लेख किया है जिसमें अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया है इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

15. यह कि वादीनी/अप्रार्थीनी श्रीमति प्रेरणा को दिनांक 19.04.2014 को वाद कारण उत्पन्न होने के कारण उनवानी वाद श्रीमति प्रेरणा बनाम रामेश्वर व अन्य पेश किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है तथा वादीनी द्वारा आदेश 9 नियम 9 के सिद्धांतों का कोई उल्लेखन नहीं किया है क्योंकि तथाकथित पूर्व का वाद श्रीमति प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश व अन्य वादीनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया और वादीनी द्वारा पूर्व के वाद को खारिज नहीं करवाया अर्थात् वादीनी को पूर्व के वाद सं. 113/12 श्रीमति प्रेरणा बनाम ओमप्रकाश के प्रस्तुत करने एवं खारिज करने की कोई जानकारी नहीं रही। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

16. यह कि वादीनी ने पूर्व में कोई दावा पेश नहीं किया है और कोई दावा खारिज भी नहीं करवाया अर्थात पूर्व में दावा पेश करने एवं उसको खारिज करवाने की वादीनी को जानकारी नहीं है इसलिये रेसजूडिकेटा का सिंद्धात भी लागू नहीं होता है यदपि पूर्व के वाद सं. 113/12 को निस्तारण मेरिट पर/गुणावगुण के आधार पर नहीं हुआ है। बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा साजसी पूर्ण कार्यवाही कर उनवानी वाद सं. 113/12 पेश करवाया था व प्रतिवादीगण द्वारा ही वाद को अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज करवाया है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

17. यह कि वर्तमान विचाराधीन उनवानी वाद श्रीमति प्रेरणा बनाम रामेश्वर व अन्य पेश करते समय न तो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में विक्रय पत्र का अंकन था और न ही प्रतिवादीगण के पक्ष में नामान्तरण खुला था और न ही खातेदारी दर्ज की गयी थी ऐसी सूरत में वादीनी ने मिन प्रतिवादीगण को बतौर प्रतिवादीगण के रुप में पक्षकार भी नहीं बनाया था बल्कि उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदारों के विरुद्ध ही वाद पेश किया था तथा वादिनी ने विक्रय पत्र के संबंध में कोई अनुतोष वाद में नही चाहा है।

18. ओमप्रकाश को पैतृक संपति को विक्रय करने का भी अधिकार नहीं था। क्योंकि वादिनी ओमप्रकाश की पुत्री एवं बजरंगा पुत्र रामनाथ की पोत्री है। इसलिये कानूनन वादिनी को जन्म लेते ही कानूनी अधिकार प्राप्त हो गये थे व खातेदार हो गयी थी। वादिनी ने अपने अधिकारों के लिए उदघोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज का दावा पेश किया है। जो कानून संगत है। तथा चलने योग्य है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

5/8

पक्षकार ... बस्सी जिला जयपुर

19. यह कि प्रतिवादीगण शंकरलाल, लक्ष्मीनारायण, हनुमान, ग्यारसीलाल, मुकेश व युवराजसिंह, दीपक शर्मा, जगदीश खटीक के विरुद्ध भी एक मूल आपराधिक प्रकरण सं. 1650/16 अपराध अन्तर्गत 420, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. का माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट(क.ख.) कम सं. 24 हाल 15 बस्सी जयपुर के यहा विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र की सत्यता के संबंध में साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना शेष है इसलिये भी प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

वादिनी/अप्रार्थीनी श्रीमति प्रेरणा की ओर से कानूनी नजीरे निम्न पेश की है-

1. RRT2015(2) supreme court page-1268 वैश्य अग्रवाल पंचायत बनाम इन्दर कुमार वगैरहा
2. RRT2013(1)Page -356 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैन्च नाथूराम सेठ बनाम श्रीति पूनम सेठ
3. RRT2015(1)Page-474 राजस्थान उच्च न्यायालय मोटूराम बनाम राजस्व मण्डल
4. RRT2014(2)Page-1076 राजस्व मण्डल अजमेर भकिर मार्गी पंचायत बनाम अरबन इम्प्रुवमेंट ट्रस
5. RRT2011(2)Page-1003 राजस्व मण्डल अजमेर सीतू बनाम
6. RRT2014(2)Page-1263 राजस्व मण्डल अजमेर देवेन्द्र सिंह बनाम खीदर कोट
7. RRT2015(1)Page-100 राजस्व मण्डल अजमेर महेन्द्र सिंह बनाम मूरती देवी
8. RRT2015(1)Page-204 राजस्व मण्डल अजमेर सुन्दरी देवी बनाम काली देवी
9. RRT2015(2)Page-1396 राजस्व मण्डल अजमेर सतीश चन्द्र बनाम स्वरुपी देवी वगैरहा

20. पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रतिवादी सं. 5,6,9 व प्रतिवादी सं. 8 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07आर11सीपीसी पर वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो पर मनन करने एवं पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात न्यायालय यह पाता है कि -

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 276 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम सिंदोली तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादिया ने अपने वाद के चरण सं. 5 में वादकारण निम्न प्रकार उत्पन्न होना बताया है-

यह है कि वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/3 मृतक पिता ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा का हिस्सा 1/3 का नामान्तरण

6 मई 8

प्रकाक कलेक्टर ... जिला जयपुर

खुलवाने के लिए पटवारी हल्का बाला की नांगल के पास गई तो पटवारी हल्का बाला की नांगल ने यह कहते हुये मना कर दिया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 व उनके वारिस ने नामान्तरण खोलने से रुकवा रखा है।

जबकि वाद दायरी से पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2014 के मुताबिक ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा एवं प्रतिवादी सं. 01 ने अपना संपूर्ण हिस्सा 2/3 प्रार्थी प्रतिवादी को बेचान कर कब्जा संभलाया है जिसका स्पष्ट उल्लेख पंजीबद्ध विक्रय पत्र में किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादकारण उत्पन्न होने की कथित दिनांक को ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा अपने हिस्से का बेचान कर चुका था जिसे वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। वादिया ने अपने वाद में वादकारण उत्पन्न होने की निश्चित तिथी का उल्लेख नहीं किया है ऐसी स्थिति में यदि वादिया के पिता की मृत्यु की दिनांक से भी वाद कारण उत्पन्न होना माना जाए तो भी विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2014 का नामान्तरण दिनांक 09.04.2014 प्रकियाधीन था ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा वादपत्र में जो वादकारण उल्लेखित किया है वह वाद कारण उत्पन्न होना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है।

वादिया ने वाद के पैरा 15 (क) में तहसीलदार तहसील बस्सी से अनुतोष चाहा है कि वादिनी के मृतक पिता ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा की एकमात्र वारिस होने के आधार पर विवादित आराजित के 1/3 हिस्से पर ओम प्रकाश पुत्र बंजरगा के स्थान पर बतौर खातेदार वादिनी का नाम दर्ज किया जावे। इस हेतु वादिया ने वाद पत्र के साथ धारा 80(2) सि.प्र.स. के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार बस्सी को धारा 80 सि.प्र.स.के तहत पूर्व नोटिस जारी करने में रिलिफ चाही है। वादिया प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सिविल प्रकिया संहिता में अर्जेन्सी का कोई भी आधार कारण वर्णित नहीं किया न ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) के समर्थन में कोई शपथ पत्र पेश किया है जो कि सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरित है। वादिया ने अपने वादपत्र में अपने पिता ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा की मृत्यु दिनांक 07.04.2014 को होना अंकित किया है जिसके 15 दिवस पश्चात दिनांक 22.04.2014 को यह वादपत्र पेश किया है। मृत्यु के 15 दिवस की अवधि में विरासती नामान्तरण हेतु अर्जेन्सी होना समुचित प्रतित नहीं होता। अतः वादिया को धारा 80 सिविल प्रकिया संहिता के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायाहित आवश्यक प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र 80(2) उपर्युक्त डिफेक्ट के आधार पर संधारणीय न होने तथा अर्जेन्सी का पर्याप्त कारण का अभाव होने से वादपत्र धारा 80 सिविल प्रकिया संहिता से बाधित है।

वादिया ने वाद के चरण 15(ग) में अनुतोष चाहा है कि-

सहा. कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

"राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कपोल कल्पित मनगढ़त दस्तावेजों के आधार पर मृतक पिता ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा की खातेदारी अपने नाम नहीं लगावें। वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज रहन, क्रय, विक्रय बख्शीश एवं पंजीकृत नहीं करे।"

वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के परव्यू में नहीं होने तथा के कारण भी वाद धारा 207 राज काश्तकारी अधिनियम द्वारा बाधित है।

वादिया के पिता अपने जीवनकाल में विवादित भूमि के 1/3 भाग की भूमि का बेचान जरिये रजि विक्रय पत्र प्रतिवादी सं 5 लगा 9 को कर दिया गया था। वादिया ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जवाब में यह उल्लेखित किया है कि प्रतिवादीगण शंकरलाल, लक्ष्मीनारायण, हनुमान, ग्यारसीलाल, मुकेश व युवराजसिंह, दीपक शर्मा, जगदीश खटीक के विरुद्ध भी एक मूल आपराधिक प्रकरण सं. 1650/16 अपराध अन्तर्गत 420, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. का माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट(क.ख.) कम सं. 24 हाल 15 बस्सी जयपुर के यहा विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र की सत्यता के संबंध में साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना शेष है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र की सत्यता का निर्धारण नहीं कर दिया जाता इस वाद को सुना जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि ख.नं. 276 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम सिंदौली तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में प्रतिवादी सं. 5,6,9 व प्रतिवादी सं. 8 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07आर11 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद वादकारण के अभाव, विधि द्वारा वर्जित होने एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण वादिया का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक [15.03.2022] को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.4.2022

सहायक कलक्टर

बस्सी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1 प्रेरणा उर्फ चिल्लू पुत्री ओमप्रकाश शर्मा पत्नि कैलाश चन्द शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी सिन्दोली तह. बस्सी जिला जयपुर। हालवासी मकान नं. 52 कल्याण नं. 52 कल्याण नगर तृतीय टोक रोड जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. रामेश्वर पुत्र रामनाथ
   जाति बागडा ब्राहमण निवासी सिन्दोली तह. बस्सी जिला जयपुर। हालवासी मकान नं. 18, जय अम्बे हाउसिंग कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी के पीछे मदरामपुरा, सिविल लाइन तिराहा अजमेर रोड जयपुर।
2. नानगा पुत्र रामनाथ(फौत)
   2/1 योगेश पुत्र नानगा
   2/2 अशोक पुत्र नानगा
   जाति बागडा ब्राहमण निवासी सिन्दोली तह. बस्सी जिला जयपुर। हालवासी मकान/दुकान नं. 22,23 चौडा रास्ता जयपुर।
3. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर।
5. शंकरलाल पुत्र रामूलाल
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामूलाल
7. ग्यारसीलाल पुत्र जगदीश
8. मुकेश पुत्र जगदीश
9. हनुमान पुत्र रामूलाल
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी वीलवा तह. सांगानेर जिला जयपुर।

दावा उद्घोषणा, इन्द्राज विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

मु0न0 121/19

निर्णय दिनांक 15.03.2022 1.4.2022

वादग्रस्त भूमि ख.नं. 276 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम सिंदौली तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में प्रतिवादी सं. 5,6,9 व प्रतिवादी सं. 8 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07आर11 सीपीसी सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद वादकारण के अभाव में, विधि द्वारा वर्जित होने एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण वादिया का वाद खारिज किया जाता है। ....[illegible]...... ....मुबलिक......................बाबत..खर्चा..इस मुकददमें का [illegible] सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक........................को अदा करें। [illegible] दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.03.2022 को जारी किया गया।

1.4.2022 दस्तखत..............................

मोहर

ओहदा..............................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

बस्सी जिला जयपुर